

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 12, 2016/माघ 23, 1937

No. 65]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 12, 2016/MAGHA 23, 1937

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 12 फरवरी, 2016

(भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड)

(पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016

सं. सेबी/एल.ए.डी.एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/034.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2016 कहा जा सकेगा ।
2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
3. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 में, सातवीं अनुसूची में,-

(i) खंड 1 निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगा, अर्थात्,-

"1. पारस्परिक निधि स्कीम एकल निर्गमकर्ता (सोल इश्युअर) द्वारा जारी उन ऋण लिखतों (डैट इंस्ट्रुमेंट्स) [जिनमें मुद्रा बाजार लिखतें (मनी मार्केट इंस्ट्रुमेंट्स) और गैर मुद्रा बाजार लिखतें समाविष्ट हैं] में अपने एनएवी के 10% से अधिक निवेश (विनिधान) नहीं करेगी, जिन्हें साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) [जो अधिनियम के अधीन ऐसा क्रियाकलाप (ऐसी ऐक्टिविटी) करने के लिए प्राधिकृत हो] द्वारा निवेश श्रेणी (इन्वेस्टमेंट ग्रेड) से नीचे की रेटिंग न

दी गई हो । ऐसी निवेश (विनिधान) सीमा न्यासी बोर्ड और आस्ति प्रबंध कंपनी (असेट मैनेजमेंट कंपनी) के निदेशक बोर्ड का पूर्व अनुमोदन लेकर स्कीम के एनएवी के 12% तक बढ़ाई जा सकेगी :

परंतु यह कि ऐसी सीमा सरकारी प्रतिभूतियों, खजाना हुंडियों (ट्रेजरी बिल्स) और संपार्श्विकीकृत (कलैटरलाइज्ड) उधार लेने-देने संबंधी दायित्वों में निवेश (विनिधान) के लिए लागू नहीं होगी :

परंतु यह और कि ऐसी सीमा के भीतर निवेश (विनिधान) उन बंधक समर्थित प्रतिभूत ऋण (मॉर्गेंज बैकड सिक्कुरिटाइज्ड डैट) में किया जा सकता है, जिन्हें बोर्ड से रजिस्ट्रीकृत साख निर्धारण एजेंसी (क्रेडिट रेटिंग एजेंसी) द्वारा निवेश श्रेणी (इन्वेस्टमेंट ग्रेड) से नीचे की रेटिंग न दी गई हो :

परंतु यह और कि पहले से ही मौजूद स्कीमों, यथोचित समय के भीतर और उसी प्रकार से, जैसा बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाए, ऐसी सीमाओं का पालन करेंगी ।";

(ii) खंड 1ख का लोप हो जाएगा ।

यू. के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./366]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 856(अ), 9 दिसम्बर, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।
2. भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -
 - (1) 15 अप्रैल, 1997 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 327(अ), द्वारा
 - (2) 12 जनवरी, 1998 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 32(अ), द्वारा
 - (3) 8 दिसम्बर, 1999 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 1223(अ), द्वारा
 - (4) 14 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 235(अ), द्वारा
 - (5) 28 मार्च, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण को अपील) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 278(अ), द्वारा
 - (6) 22 मई, 2000 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 484(अ), द्वारा
 - (7) 23 जनवरी, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 69(अ), द्वारा
 - (8) 29 मई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476(अ), द्वारा

- (9) 23 जुलाई, 2001 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 698(अ), द्वारा
- (10) 20 फरवरी, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 219(अ), द्वारा
- (11) 11 जून, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 625(अ), द्वारा
- (12) 30 जुलाई, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 809(अ), द्वारा
- (13) 9 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2002, का.आ. सं. 956(अ), द्वारा
- (14) 27 सितम्बर, 2002 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (जांच अधिकारी द्वारा जांच करने और शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2002, का.आ. सं. 1045(अ), द्वारा
- (15) 29 मई, 2003 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 632(अ), द्वारा
- (16) 12 जनवरी, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2004, फा.सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/4/2004, द्वारा
- (17) 10 मार्च, 2004 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (उपयुक्त तथा उचित व्यक्ति के लिए मानदंड) विनियम, 2004, का.आ. सं. 398(अ), द्वारा
- (18) 12 जनवरी, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 38(अ), द्वारा
- (19) 22 मई, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 783(अ), द्वारा
- (20) 3 अगस्त, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2006, का.आ. सं. 1254(अ), द्वारा
- (21) 27 दिसम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (चौथा संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/विकावि/नीप्र/82534/2006, द्वारा
- (22) 27 दिसम्बर, 2006 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (पाँचवाँ संशोधन) विनियम, 2006, फा. सं. भाप्रविबो/ विकावि/नीप्र/83065/2006, द्वारा
- (23) 28 मई, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/2518, द्वारा
- (24) 31 अक्टूबर, 2007 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2007/4646, द्वारा

- (25) 31 मार्च, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फ़ीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. 11/एलसी/जीएन/2008/21669, द्वारा
- (26) 16 अप्रैल, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2008, फा. सं. एलएजी-एनआरओ/जीएन/2008/03 /123042, द्वारा
- (27) 22 मई, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एल.ए.डी.-एन.एन.ओ./जी.एन./2008/09/126202, द्वारा
- (28) 29 सितम्बर, 2008 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2008, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2008/24/139426, द्वारा
- (29) 8 अप्रैल, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/01/159601, द्वारा
- (30) 5 जून, 2009 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2009, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./ 009-10/07/165404, द्वारा
- (31) 29 जुलाई, 2010 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2010, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2010-11/13/13945, द्वारा
- (32) 30 अगस्त 2011 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2011, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/27668, द्वारा
- (33) 21 फरवरी, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2012, सं. एलएडी-एनआरओ/जीएन/2011-12/38/4290, द्वारा
- (34) 26 सितम्बर, 2012 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/17/21502, द्वारा
- (35) 16 अप्रैल, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/03/5652, द्वारा
- (36) 19 जून, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/12/6108, द्वारा
- (37) 19 अगस्त, 2013 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/18/6384, द्वारा
- (38) 6 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी/एनआरओ/जीएन/2014-15/01/1039, द्वारा
- (39) 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फ़ीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा
- (40) 30 दिसम्बर, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पारस्परिक निधि) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2014, सं. एलएडी- एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/19/1973, द्वारा

(41) 15 मई, 2015 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (पारस्परिक निधि) (संशोधन) विनियम, 2015, सं. सेबी-एन.आर.ओ./ओ.आई.ए.इ./जी.एन./2015-16/005, द्वारा

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th February, 2016

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (MUTUAL FUNDS) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2016

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/034.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, namely:—

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2016.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, in the Seventh Schedule,—

(i) clause 1 shall be substituted with the following words, figures and symbols, namely,—

"1. A mutual fund scheme shall not invest more than 10% of its NAV in debt instruments comprising money market instruments and non-money market instruments issued by a single issuer which are rated not below investment grade by a credit rating agency authorised to carry out such activity under the Act. Such investment limit may be extended to 12% of the NAV of the scheme with the prior approval of the Board of Trustees and the Board of Directors of the asset management company:

Provided that such limit shall not be applicable for investments in Government Securities, treasury bills and collateralized borrowing and lending obligations:

Provided further that investment within such limit can be made in mortgaged backed securitised debt which are rated not below investment grade by a credit rating agency registered with the Board:

Provided further that the schemes already in existence shall within an appropriate time and in the manner, as may be specified by the Board, conform to such limits.";

(ii) clause 1B shall be omitted.

U. K. SINHA, Chairman

[ADVT.III/4/Exty.366]

Footnote:

1. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996, the Principal Regulations, were published in the Gazette of India on December 9, 1996 vide S.O. No. 856(E).

2. The Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) Regulations, 1996 were subsequently amended—

- (1) on April 15, 1997 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1997 vide S.O. No. 327(E).
- (2) on January 12, 1998 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 1998 vide S.O. No. 32(E).
- (3) on December 08, 1999 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. No. 1223(E).
- (4) on March 14, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 235(E).
- (5) on March 28, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Appeal to the Securities Appellate Tribunal) (Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 278(E).

- (6) on May 22, 2000 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2000 vide S.O. No. 484(E).
- (7) on January 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 69(E).
- (8) on May 29, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 476(E).
- (9) on July 23, 2001 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2001 vide S.O. No. 698(E).
- (10) on February 20, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 219(E).
- (11) on June 11, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 625(E).
- (12) on July 30, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 809(E).
- (13) on September 9, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Fourth Amendment) Regulations, 2002 vide S.O. No. 956(E).
- (14) on September 27, 2002 by the Securities and Exchange Board of India (Procedure for Holding Enquiry by Enquiry Officer and Imposing Penalty) Regulations, 2002 vide S.O. No. 1045(E).
- (15) on May 29, 2003 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2003 vide S.O. No. 632(E).
- (16) on January 12, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2004 vide F.No. SEBI/LAD/DOP/4/2004.
- (17) on March 10, 2004 by the Securities and Exchange Board of India (Criteria for Fit and Proper Person) Regulations, 2004 vide S.O. No. 398(E).
- (18) on January 12, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds)(Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 38(E).
- (19) on May 22, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 783(E).
- (20) on August 3, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2006 vide S.O. No. 1254(E).
- (21) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fourth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/82534/2006.
- (22) on December 27, 2006 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Fifth Amendment) Regulations, 2006 vide F. No. SEBI/LAD/DOP/83065/2006.
- (23) on May 28, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/2518.
- (24) on October 31, 2007 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2007 vide F. No. 11/LC/GN/2007/4646.
- (25) on March 31, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. 11/LC/GN/2008/21669.
- (26) on April 16, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2008 vide F. No. LADNRO/ GN/2008/03/123042.
- (27) on May 22, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/GN/2008/09/126202.
- (28) on September 29, 2008 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2008 vide No. LADNRO/ GN/2008/24/139426.
- (29) on April 8, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/01/159601.

- (30) on June 5, 2009 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2009 vide No. LAD-NRO/GN/2009-10/07/165404.
- (31) on July 29, 2010 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2010 vide No. LAD-NRO/GN/2010-11/13/13945.
- (32) on August 30, 2011 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2011 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/27668.
- (33) on February 21, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2011-12/38/4290.
- (34) on 26th September, 2012 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2012 vide No. LAD-NRO/GN/2012-13/17/21502.
- (35) on 16th April, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/03/5652.
- (36) on 19th June, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/12/6108.
- (37) on 19th August, 2013 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Third Amendment) Regulations, 2013 vide No. LAD-NRO/GN/2013-14/18/6384.
- (38) on 6th May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/01/1039.
- (39) on 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089.
- (40) on 30th December, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Second Amendment) Regulations, 2014 No. LAD-NRO/GN/2014-15/19/1973.
- (41) on 15th May, 2015 by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Funds) (Amendment) Regulations, 2015 No. NRO-OIAE/GN/2015-16/005